माननीय रणजीत सिंह, न्यायमूर्ति के समक्ष

गोविंद ठुकराल,-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,—प्रतिक्रिया सेंध

सीडब्ल्यूपीनं. 2008 का 20922

25 अप्रैल, 2011

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद- 226—हरियाणा लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्तें) विनियम, 1972-रेग 2 (डी) 13—पंजाब सेवा (चिकित्सा उपस्थिति) नियम, 1940—याचिकाकर्ता सेवानिवृत्त एचपीएससी के सदस्य के रूप में-चिकित्सा प्रतिपूर्ति का दावा-अस्वीकृति--क्या गैर-आधिकारिक आयोग सदस्य सरकारी कर्मचारी की परिभाषा के दायरे में आता है - माना गया- हाँ—1972 के विनियमों में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सदस्यों की परिभाषा और उनके अधिकार चिकित्सा भत्तों की प्रतिपूर्ति - संबंध में भेद करने का कोई प्रावधान नहीं है - राज्य दो समान स्थिति वाले सदस्यों को चिकित्सा भत्ता प्रतिपूर्ति की अनुमति देता है.

- याचिकाकर्ता भी समान रियायत के हकदार - याचिका स्वीकार की गई, उत्तरदाताओं को निर्देश दिया गया याचिकाकर्ता द्वारा किए गए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति करें।

माना गया कि विनियम 1972 में ऐसा करने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है जो विभिन्न स्रोतों से ली गई सदस्यों की परिभाषा और अधिकार के संबंध में चिकित्सा भत्तों की प्रतिपूर्ति के संबंध में भेद करता हो.

यदि विधान की मंशा इसे नकारने की थी तो लोक सेवा आयोग के उन सदस्यों को लाभ, जिनकी नियुक्ति जनता से होती है, तब इसे विनियमों में स्पष्ट रूप से प्रदान किया जाना आवश्यक था।

पैरा 20

इसके अलावा, यह माना गया कि किसी क़ानून के एक खंड के प्रावधान का उपयोग नहीं किया जा सकता है.

अन्य प्रावधान को तब तक विफल करें जब तक कि अदालत को उन दोनों के बीच सुलह को प्रभावित करना असंभव न लगे. यदि इन प्रावधानों का सार यह है कि

सरकारी पेंशनभोगी को चिकित्सा उपस्थिति की अनुमति हैं, तो याचिकाकर्ता से जो दलील मिल रही है उसमें काफी दम है कि याचिकाकर्ता को भी राज्य सेवा के लिए पेंशन मिल रही हैं. याचिकाकर्ता ने राज्य के सम्बन्ध में राज्य सेवा की होगी लेकिन 1972 के विनियम 13 के प्रावधान में ऐसा कोई भेद ध्यान देने योग्य नहीं है. दलील यह है कि यह नियम सेवारत सदस्यों पर लागू होगा, उन पर नहीं जो पेंशनभोगी हैं वे आकर्षक लग सकते हैं, लेकिन फिर राज्य अनुलग्नक पी-11 और पी-12 में दिए गए अनुसार दो सदस्यों को चिकित्सा उपस्थिति की प्रतिपूर्ति व्याख्या कैसे करेगा ?

इसमें कोई विवाद नही हैं कि याचिकाकर्ता पेंशन प्राप्त कर रहा है। मेरे लिए, वह स्रोत जहाँ से याचिकाकर्ता पेंशन ले रहा है, यह बात निरर्थक लगेगी। उनकी पेंशन पर राज्य विधानसभा बहस हुई और मतदान हुआ. ये लाभकारी प्रावधान हैं, जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों के चिकित्सा भत्ते की प्रतिपूर्ति की अनुमति दी गई है. जैसे सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशन के प्राप्तकर्ता हैं वैसे ही है याचिकाकर्ता. पेंशन के स्रोत से मेडिकल अनुदान अदायगी पर क्या फर्क पड़ेगा? अधिक से अधिक, उस मद में प्रतिपूर्ति की राशि विवादास्पद हो सकती है या पेंशन का स्रोत जिससे याचिकाकर्ता को यह पेंशन दी जा रही है।

एक बार भी इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि समान स्थिति वाले दो सदस्यों को पहले भी अनुमति दी जा चुकी है

चिकित्सा प्रतिपूर्ति और अब याचिकाकर्ता को वही रियायत देने से इनकार कर दिया गया है, जो उचित प्रतीत नहीं होता।

(पैरा 20)

श्री जे.एस.तूर, वकील, याचिकाकर्ता।

श्री सुनील नेहरा, सीनियर डीएक्यू हरियाणा राज्य।

श्री एच.एन. मेहतानी, वकील, प्रतिवादी संख्या 3 के लिए।

<u>निर्णय</u>

माननीय रणजीत सिंह, न्यायमूर्ति.

हरियाणा लोक सेवा आयोग (संक्षेप में "एचपीएससी") के एक सेवानिवृत्त सदस्य ने अपने चिकित्सा दावे की प्रतिपूर्ति के लिए इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है, जिसके लिए वह हरियाणा लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्तें) विनियम, 1972 (इसके बाद कहा जाएगा) के तहत हकदार होने का दावा करता है। "1972 विनियम" के रूप में)। चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए याचिकाकर्ता के दावे को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया है कि आयोग के गैर-आधिकारिक सदस्य चिकित्सा उपस्थिति के हकदार नहीं हैं।

याचिकाकर्ता ने स्वीकार किया कि उसे एचपीएससी का सदस्य नियुक्त किया गया था जहां से वह 3.7.1997 को सेवानिवृत्त हुआ। याचिकाकर्ता को उस पेंशन का हकदार माना गया जो वह प्राप्त कर रहा है। इस प्रकार, वह एचपीएससी के पूर्व सदस्य के रूप में सभी लाभों के हकदार होने का दावा करते हैं। याचिकाकर्ता ने पीजीआई, चंडीगढ़ में अपनी दाहिनी आंख का ऑपरेशन कराया था। अपने प्रवेश और उपचार के लिए, याचिकाकर्ता ने 13,180/- रुपये का खर्च उठाया है, जिसका विवरण याचिका के साथ संलग्न अनुबंध पी-2 में दिया गया है। 11.7.2007 को याचिकाकर्ता ने इस राशि की प्रतिपूर्ति के लिए अपना दावा प्रस्तुत किया और जवाब में उन्हें अवगत कराया गया कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधाएं सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध हैं। यह मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार के दिनांक 12.3.2003 के पत्र के माध्यम से इस आशय की सलाह के अनुसार है कि आयोग के गैर-आधिकारिक सदस्य सरकारी कर्मचारी की परिभाषा के दायरे में नहीं आते हैं। इस पत्र की प्रति याचिका के साथ अनुलग्नक पी-3 के रूप में संलग्न है।

इसके बाद याचिकाकर्ता ने 12.7.2007 को मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा जिसमें बताया गया कि आयोग के सदस्यों को सरकारी कर्मचारी होना जरूरी नहीं है और मेडिकल अटेंडेंस नियम आयोग के सदस्यों पर लागू होंगे, भले ही वे पहले सरकारी कर्मचारी रहे हों या नहीं। . याचिकाकर्ता के अनुसार, सदस्यों की सेवा शर्तों के संबंध में नियमों या संविधान में कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता ने कहा कि न तो संविधान के अनुच्छेद 311 से 323 और न ही अधिसूचित नियम जनता या सरकारी सेवा से आए सदस्यों के बीच कोई अंतर करते हैं। 18.8.1972 को अधिसूचित नियमों में निहित सदस्यों की परिभाषा का भी उल्लेख किया गया है, जिसकी प्रति याचिका के साथ अनुबंध पी-4 के रूप में संलग्न की गई है। हालाँकि, मुख्य सचिव ने आयोग द्वारा

पहले अपनाए गए रुख को दोहराते हुए जवाब दिया कि गैर-आधिकारिक सदस्य चिकित्सा उपस्थिति के हकदार नहीं हैं। मुख्य सचिव ने अपने पत्र में यह अंतर बताया कि आयोग के गैर-सरकारी सदस्य सरकारी सेवक नहीं हैं बल्कि वे राज्य के मामलों के संबंध में काम करते हैं। याचिकाकर्ता, इस भेद को हास्यास्पद बताएँगे। इस संचार की प्रतिलिपि अनुबंध पी-5 के रूप में रिकॉर्ड में है।

याचिका दायर करने से पहले, याचिकाकर्ता ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत एक आवेदन दायर किया था ताकि यह पता चल सके कि क्या एचपीएससी के किसी अन्य सेवानिवृत्त सदस्य को नियमों के तहत चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा इस संबंध में की गई विशिष्ट क्वेरी इस प्रकार थी:-

"सेवानिवृत्त एचपीएससी सदस्यों के लिए चिकित्सा उपस्थिति के बारे में नियम। एचपीएससी के सेवानिवृत्त सदस्यों से चिकित्सा उपस्थिति के लिए कितने अभ्यावेदन/बिल प्राप्त हुए थे? वे पूर्व सदस्य कौन थे जिन्होंने हरियाणा सरकार से अपने चिकित्सा उपचार के लिए भुगतान मांगा था? कितनों को भुगतान किया गया था और कितनों को भुगतान देने से इनकार कर दिया गया? प्रत्येक मामले में इनकार या भुगतान के क्या आधार थे?"

जवाब में, याचिकाकर्ता को एक जवाब मिला जिसमें कहा गया कि एचपीएससी के सेवानिवृत्त सदस्यों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति देने का कोई प्रावधान नहीं था और इस प्रकार, फोटोकॉपी की आपूर्ति करना संभव नहीं था। इसके बाद याचिकाकर्ता ने एक वैधानिक अपील दायर की क्योंकि उसे पूरी जानकारी देने से इनकार कर दिया गया था और भ्रामक बयान दिया गया था। हालाँकि, अपीलीय प्राधिकारी ने एसपीआईओ की इस दलील पर ध्यान देते हुए 17.9.2008 को एक आदेश पारित किया कि इस संबंध में कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था। याचिकाकर्ता बाद में ठोस जानकारी प्राप्त करने में सक्षम हुआ कि एचपीएससी के दो पूर्व सदस्यों, जो सार्वजनिक व्यक्ति थे, के चिकित्सा दावे की प्रतिपूर्ति की अनुमति दी गई थी। इस संबंध में, श्री रति राम शर्मा और श्री गोपी चंद भल्ला के मामलों का संदर्भ दिया गया है, जिन्हें राज्यपाल के नाम पर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार के हस्ताक्षर के तहत 31.3.1995 को चिकित्सा प्रतिपूर्ति की अनुमति दी गई थी। इसके बाद याचिकाकर्ता ने कानूनी नोटिस भेजा और जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उसने इस अदालत के समक्ष वर्तमान याचिका दायर की।

प्रतिवादी नंबर 1 और 2 की ओर से लिखित बयान दायर किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 316 का संदर्भ देने के बाद , यह कहा गया है कि प्रत्येक लोक सेवा आयोग के लगभग आधे सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्होंने सरकार के अधीन पद संभाला हो। भारत या राज्य सरकार. फिर विनियम, 1972 के विनियम 13 का संदर्भ दिया जाता है , जो अध्यक्ष और सदस्यों को चिकित्सा देखभाल प्रदान करने का प्रावधान करता है और निम्नानुसार पढ़ता है: -

"13. उन पर चिकित्सा उपस्थिति के प्रयोजनों के लिए, आयोग के सदस्य हरियाणा राज्य द्वारा अपनाए गए पंजाब सेवा (चिकित्सा उपस्थिति) नियम, 1940 द्वारा सरकारी होंगे।"

उत्तरदाताओं के अनुसार, उपरोक्त प्रावधान से यह स्पष्ट है कि यह विनियमन केवल आयोग के कार्यरत सदस्यों के लिए है, सेवानिवृत्त सदस्यों के लिए नहीं। आगे कहा गया है कि पंजाब सेवा (चिकित्सा उपस्थिति) नियम, 1940 (संक्षेप में "1940 नियम") कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करते हैं और पेंशनभोगियों के लिए अलग सरकारी निर्देश हैं। इन निर्देशों को उत्तर के साथ अनुलग्नक आर-1 और आर-2 के रूप में संलग्न किया गया है और इस आधार पर, यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता का मामला ऊपर दिए गए विनियमन 13 के तहत कवर नहीं किया जाएगा।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश श्री तूर सबसे पहले विनियम, 1972 का संदर्भ देते हुए आग्रह करेंगे कि ये नियम इन विनियमों के प्रारंभ में पद संभालने वाले आयोग के सदस्यों पर लागू होंगे। वकील के अनुसार, ये नियम उन सभी सदस्यों पर लागू होते हैं, जिन्हें उसके बाद नियुक्त किया जाता है और इस संबंध में विनियमन 2 (डी) में निहित सदस्यों की परिभाषा का संदर्भ दिया जाएगा, जहां सदस्य को "आयोग के एक सदस्य और" के रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें उसके अध्यक्ष भी शामिल हैं"। नियम 13 चिकित्सा उपस्थिति प्रदान करने को नियंत्रित करता है और यह आगे 1940 के नियमों द्वारा शासित होता है। 1940 के नियमों को हरियाणा राज्य द्वारा अपनाया गया है और इन नियमों के आधार पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति की जा रही है। याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि जहां तक सदस्य की परिभाषा का सवाल है, नियमों में कोई भेद नहीं किया गया है और इस प्रकार, याचिकाकर्ता के दावे को अस्वीकार करने के लिए जो अंतर मांगा गया है उसे कृत्रिम, मनमाना और अवैध करार दिया गया है।

जहां तक विभिन्न स्रोतों से आए सदस्यों का सवाल है, 1940 के नियमों का नियम 13 भी स्पष्ट रूप से कोई भेद नहीं कर रहा है और इसमें जो प्रावधान है वह यह है कि उनके लिए चिकित्सा देखभाल 1940 के नियमों द्वारा शासित होगी। इसलिए, यह निर्धारित करने के लिए कि याचिकाकर्ता चिकित्सा प्रतिपूर्ति का हकदार होगा या नहीं, 1940 के नियमों को देखना आवश्यक होगा। इन नियमों को प्रारंभ में रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया था। जब यह मामला सुनवाई के लिए आया, तो यह सुनिश्चित करना आवश्यक समझा गया कि क्या याचिकाकर्ता को कोई पेंशन मिल रही थी और क्या उसे सेवानिवृत्त कर्मचारी माना जा रहा था या जिसने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद एक अतिरिक्त हलफनामा दायर किया गया जिसमें खुलासा किया गया कि याचिकाकर्ता को विनियमन, 1972 के उप-विनियम 9 ए (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार पेंशन मिल रही थी। यह भी कहा गया है कि ये नियम संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत बनाए गए थे , जबकि सरकार नौकर सीएसआर खंड 1 और II के प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं। तदनुसार यह बताया गया है कि एचपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की शर्तें संविधान के अनुच्छेद 318 के तहत विनियमित होती हैं , न कि संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत , जैसा कि सरकारी कर्मचारियों और इस प्रकार, जनता के सदस्यों के मामले में है। सेवा आयोग सरकारी कर्मचारी की परिभाषा में शामिल नहीं है।

इसके बाद याचिकाकर्ता ने इस हलफनामे पर एक विस्तृत प्रतिक्रिया दायर की और दोहराया कि विभिन्न स्रोतों के माध्यम से आम जनता या सरकारी कर्मचारियों के रूप में नियुक्त आयोग के सदस्यों के बीच कोई अंतर नहीं है और एक बार एक व्यक्ति को सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने के बाद, वह चिकित्सा का हकदार होगा। 1940 के नियमों के तहत सरकारी कर्मचारी के लिए अनुमेय उपस्थिति। याचिकाकर्ता के अनुसार, 1940 के नियमों में जहां भी "लोक सेवक" शब्द का उपयोग किया गया है, उसे एक सदस्य के रूप में पढ़ा जाना चाहिए और इस प्रकार, याचिकाकर्ता अपनी प्रस्तुति और अधिकार को दोहराएगा। इस जवाब के साथ मेडिकल अटेंडेंस रूल्स, 1940 की कॉपी भी रिकॉर्ड में रखी गई।

इसके बाद रिट याचिका स्वीकार कर ली गई और सुनवाई के लिए पोस्ट कर दी गई। बहस के दौरान, यह पता चला कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति मुख्य रूप से उन लोगों के लिए स्वीकार्य थी जिन्हें पेंशन की अनुमति थी। सरकारी वकील को तदनुसार निर्देश देने की आवश्यकता थी कि क्या सरकार याचिकाकर्ता को चिकित्सा प्रतिपूर्ति से

इनकार कर सकती है, जो पेंशन प्राप्त कर रहा था या नहीं। इसके बाद, हालांकि, याचिकाकर्ता के वकील ने यह दिखाने के लिए कुछ अतिरिक्त दस्तावेज रिकॉर्ड में रखने के लिए समय लिया कि याचिकाकर्ता हरियाणा राज्य का कर्मचारी था और इस प्रकार, राज्य कर्मचारियों पर लागू मेडिकल अटेंडेंस नियमों द्वारा शासित होगा। 2010 के सिविल विविध आवेदन संख्या 6128 के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने संघ या राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों या कर्मचारियों को देय किसी भी वेतन, भत्ते और पेंशन सहित उसके खर्चों को उजागर करने के लिए अनुच्छेद 322 का संदर्भ दिया। कमीशन, भारत की संचित निधि या राज्य की संचित निधि पर लगाया जाना था। इस प्रकार, याचिकाकर्ता ने इस बात पर प्रकाश डाला कि याचिकाकर्ता को देय पेंशन राज्य की समेकित निधि से ली गई थी और इस प्रकार, हरियाणा लोक सेवा आयोग के पास ऐसी कोई धनराशि नहीं थी। यह भी बताया गया है कि राज्य की समेकित निधि का बजट विधानसभा द्वारा पारित किया जाता है और विनियोग विधेयक भी राज्य विधानसभा द्वारा पारित किया जाता है। यह उजागर करने के लिए वर्ष 2010-2011 के बजट का संदर्भ दिया गया है कि वेतन, मजदूरी, महंगाई भत्ते, यात्रा व्यय, कार्यालय जैसे प्रमुखों के लिए हरियाणा राज्य की समेकित निधि से राज्य लोक सेवा आयोग के लिए धन आवंटित किया गया था। व्यय, किराया, दरें और कर, प्रकाशन, विज्ञापन और प्रचार, गुप्त सेवा व्यय, मोटर वाहन, पीओएल, दक्षता और विशेष सेवाएं, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, अवकाश यात्रा रियायत, अनुग्रह राशि और स्थापना व्यय। इससे यह उजागर होता है कि लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों के सदस्यों की पेंशन उन मदों में से एक नहीं है जिसके लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग को निधि आवंटित की जाती है। इससे यह पता चलता है कि पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का वितरण हरियाणा राज्य के अधिकार क्षेत्र में है, न कि हरियाणा लोक सेवा आयोग के। संवितरण के लिए पेंशन तय करने के लिए मुख्य सचिव द्वारा महालेखाकार को कुछ संचार का भी संदर्भ दिया गया है। आवेदन के साथ बजट 2010-2011 का प्रासंगिक भाग भी संलग्न किया गया है। तदनुसार दलील यह है कि याचिकाकर्ता एक राज्य पेंशनभोगी है और इसलिए अपने दावे की चिकित्सा प्रतिपूर्ति का हकदार है।

राज्य को इस अतिरिक्त याचिका पर प्रतिक्रिया दाखिल करने में समय लगा। यह बताया गया है कि राज्य का बजट तीन प्रकार का होता है, अर्थात् वोट किया गया बजट, चार्ज किया गया बजट और डिक्रीटल राशि। कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा अनुच्छेद 309 के तहत राज्य का वोटेड बजट उपलब्ध कराया गया है तथा राज्य में कार्यरत संवैधानिक संस्था एवं लोक सेवा आयोग के लिए चार्ज बजट उपलब्ध

कराया गया है. इस बजट का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 322 के तहत किया गया है। तदनुसार कहा गया है कि राज्य लोक सेवा आयोग के खर्चों का भुगतान राज्य की समेकित निधि, यानी चार्ज किए गए बजट से किया जाना है, न कि वोट किए गए बजट से। अन्यथा यह माना जाता है कि ये तीनों बजट विधान सभा द्वारा पारित किये गये हैं। यह भी स्पष्ट किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 318 के तहत सदस्यों को पेंशन देय है और इसलिए सेवा विनियम, 1972 की शर्तें बनाई गई हैं। इसी तर्ज पर सरकारी कर्मचारियों और लोक सेवा आयोग के सदस्यों के बीच अंतर बताने का प्रयास किया जाता है।

याचिकाकर्ता को मेडिकल बिल की प्रतिपूर्ति अस्वीकार करने का पहला कारण अनुबंध पी-3 में शामिल है। उसमें कहा गया है कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधाएं सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध हैं और आयोग के गैर-आधिकारिक सदस्य सरकारी कर्मचारी की परिभाषा के दायरे में नहीं आते हैं। मुख्य सचिव ने अनुबंध पी-5 में खुलासा करते हुए इसे और विस्तार से बताया कि एचपीएससी के गैर-आधिकारिक सदस्य सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, बल्कि वे राज्य के मामलों के संबंध में सेवा करते हैं और इसलिए, सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे के हकदार नहीं हैं। . याचिकाकर्ता के वकील का तर्क यह है कि उत्तरदाताओं द्वारा निकाला गया यह अंतर विनियम 1972 के प्रावधानों से नहीं बनाया जा सकता है, जहां गैर-आधिकारिक और आयोग के अन्य सदस्यों के बीच कोई अंतर नहीं किया जाता है। वकील के अनुसार, याचिकाकर्ता पेंशन की अपनी पात्रता के कारण चिकित्सा प्रतिपूर्ति का हकदार होगा और वह आयोग का सदस्य होने के नाते उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति का हकदार होगा। हालाँकि, राज्य के वकील इस बात पर जोर देंगे कि सरकारी पेंशनभोगी नहीं होने के कारण सदस्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा और ऐसी प्रतिपूर्ति केवल उन सदस्यों के लिए स्वीकार्य है, जो पहले सरकारी कर्मचारी थे। सरकार द्वारा जारी निर्देशों पर भरोसा करते हुए आग्रह किया गया है कि यह सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए है।

लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा की स्थिति को नियंत्रित करने वाले 1972 के विनियम 9ए(1) में उन सदस्यों को देय पेंशन का प्रावधान है जो केंद्र या राज्य सरकार की सेवा के सदस्य नहीं थे। पद पर बने रहने पर, उन्हें विनियम के इस पैराग्राफ में प्रदान की गई दर पर जीवन भर पेंशन का भुगतान किया जाना है। इस प्रकार, यह निर्विवाद है कि याचिकाकर्ता पेंशन प्राप्त कर रहा है। विनियम 13 के प्रावधानों का यह

अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि जो लोग सदस्य के रूप में नियुक्ति से पहले सरकारी सेवा में थे और जो सीधे जनता से नियुक्त किए गए थे, उन्हें चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए एक अंतर रखा गया है। इसीलिए, सदस्य इस रूप में सेवा करते समय चिकित्सा उपस्थिति का हकदार था। राज्य आयोग के सदस्यों की सेवा की स्थिति को नियंत्रित करने वाले विनियमों की व्याख्या करने के लिए सेवा में पंजाब सेवा चिकित्सा उपस्थिति नियमों के प्रावधानों पर दबाव डाल रहा है। विनियम 1972 के प्रावधानों की व्याख्या के लिए, पंजाब सेवा चिकित्सा उपस्थिति नियम सहायता के लिए दबाव डालने के लिए तैयार नहीं हो सकते हैं।

उत्तरदाताओं के उत्तर के साथ संबोधित कुछ संचारों की प्रतियों से यह देखा जा सकता है कि हरियाणा में चिकित्सा सुविधाओं का अनुदान पेंशनभोगियों और उनकी पत्नियों/पतियों को दिया जाता है। अनुलग्नक आर-1 का अवलोकन स्पष्ट रूप से दिखाएगा कि सरकार को स्वयं सेवानिवृत्त सरकारी पेंशनभोगियों के सामने आने वाली कठिनाई का एहसास हुआ है, जो चिकित्सा सुविधाओं के हकदार नहीं रह गए हैं, जो उन्हें सेवानिवृत्ति से ठीक पहले मिल रही थीं। तदनुसार, पेंशन प्राप्त करने वाले हरियाणा सरकार के पेंशनभोगियों को इन सुविधाओं का हकदार माना गया। विभिन्न नीतियों का भी संदर्भ दिया गया है जहां सरकार ने चिकित्सा प्रतिपूर्ति के अनुदान और उस अस्पताल को नियंत्रित करने वाले नियमों की समीक्षा की थी जहां से प्रतिपूर्ति उद्देश्यों के लिए उपचार लिया जा सकता था। उत्तरदाताओं ने स्पष्ट किया कि लेकिन इन निर्देशों के लिए, सेवानिवृत्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होता। दलीलों से ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी नहीं है और इसलिए, चिकित्सा उपस्थिति की प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं है क्योंकि ये निर्देश उस पर लागू नहीं होते हैं। यदि ऐसा है, तो उत्तरदाता अनुबंध पी-11 और पी-12 में दिए गए अनुसार दो सदस्यों को चिकित्सा उपस्थिति की प्रतिपूर्ति कैसे समझाएंगे। उत्तरदाताओं द्वारा निकाला गया भेद उचित प्रतीत नहीं हो सकता है। मेरे सामने इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता कि याचिकाकर्ता आयोग के सदस्य के रूप में सेवा करते समय चिकित्सा प्रतिपूर्ति का हकदार था। एक बार पेंशनभोगी होने के बाद याचिकाकर्ता चिकित्सा प्रतिपूर्ति का हकदार क्यों नहीं होगा? मेरे विचार में, पेंशन का भुगतान चाहे वह समेकित निधि से हो या किसी अन्य निधि से, राज्य द्वारा किया जाता है और इसलिए यह आग्रह करना संभव नहीं है कि याचिकाकर्ता हरियाणा सरकार का पेंशनभोगी नहीं है। मुझे वह भेद अन्यायपूर्ण और असमानतापूर्ण तथा कृत्रिम रूप से दबाया हुआ प्रतीत होगा।

अपनी दलील को पुष्ट करने के लिए, राज्य के वकील ने मेरे इरादे को जीएलबत्रा बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, 2010 (1) एससीटी 562 के मामले में आमंत्रित किया है, जहां इस अदालत ने देखा था कि कुल देय परिलब्धियों में से पेंशन की कटौती का प्रावधान करने वाला विनियमन सरकारी सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद नियुक्त अध्यक्ष और सदस्य अवैध वर्गीकरण बनाते हैं, जिसे इस अदालत ने यह कहते हुए बरकरार रखा कि जाहिर तौर पर दोनों अलग-अलग वर्ग हैं। तदनुसार, अदालत ने कहा कि दो अलग-अलग वर्गों के व्यक्तियों के संबंध में वेतन निर्धारण के विभिन्न सिद्धांतों को अपनाने में कोई कानूनी कठिनाई नहीं होगी। यह भेद कानून के आधार पर किया गया था और यह देखा गया है कि इसकी संवैधानिकता के पक्ष में एक धारणा है। यह माना जाता है कि अनुच्छेद 14 के समान सुरक्षा खंड का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि कानून के समान नियम मतभेदों के बावजूद सभी पर लागू होने चाहिए। इस प्रकार, यह माना जाता है कि पुन: नियोजित पेंशनभोगी को कार्यालय से जुड़े पूर्ण वेतन की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि इसके परिणामस्वरूप उसे सेवानिवृत्ति से पहले मिलने वाले वेतन से कहीं अधिक वेतन मिलेगा। मेरे विचार में, इस मामले में अनुपात की शायद वर्तमान मामले के तथ्यों पर कोई प्रयोज्यता नहीं होगी। जीएलबात्रा के मामले (सुप्रा) में, विधायिका द्वारा स्वयं दो वर्गों के सदस्यों के वेतन को तय करने के लिए एक अंतर निकाला गया है, एक जो सार्वजनिक रूप से नियुक्त किए जाते हैं और दूसरे जो सरकारी सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद नियुक्त किए जाते हैं। इस विधायी प्रावधान के आधार पर ही भेदभाव और मनमानी के आरोप को नकार दिया गया। जैसा कि पहले ही ऊपर देखा जा चुका है, जहां तक 1972 के विनियमों द्वारा विनियमित सेवा की शर्तों में चिकित्सा प्रतिपूर्ति देने का संबंध है, इसमें कोई अंतर नहीं किया गया है। इस प्रकार, जीएलबत्रा के मामले (सुप्रा) में अदालत के विचाराधीन विचार सख्ती से लागू नहीं होगा। वर्तमान मामले के तथ्यों के लिए. यह एक ऐसा मामला था जहां मुख्य रूप से पारिश्रमिक के निर्धारण को नियंत्रित करने वाले विनियमन 1972 के विनियमन 6 पर विचार किया जा रहा था।

दूसरी ओर, याचिकाकर्ता के वकील ने यह दलील देने के लिए कई निर्णयों का संदर्भ दिया था कि यदि नियमों द्वारा सदस्यों में कोई भेद नहीं किया जाता है, तो स्पष्ट आवश्यकता के मामले को छोड़कर और जब कारण हो तो अदालत द्वारा उस चूक की आपूर्ति नहीं की जा सकती है । क्योंकि यह क़ानून की चार चिंताओं में ही पाया जाता है। कैसस ओमिसस का अर्थ है क़ानून द्वारा प्रदान न किया गया एक बिंदु। ऐसा मामला जो क़ानून द्वारा प्रदान नहीं किया गया है और इसलिए सामान्य कानून

द्वारा सरकार होगा। यह देखा गया है कि 'कैसस ऑमिसस' का तुरंत अनुमान नहीं लगाया जाना चाहिए और उस उद्देश्य के लिए सभी भागों को एक साथ समझा जाना चाहिए और एक खंड के प्रत्येक खंड को संदर्भ और उसके अन्य खंडों के संदर्भ में समझा जाना चाहिए, ताकि निर्माण किया जा सके। किसी विशेष प्रावधान पर संपूर्ण क़ानून का सुसंगत अधिनियमन होता है। (देखें आयकर आयुक्त सेंट्रल कलकत्ता बनाम नेशनल ताज ट्रेडर्स, एआईआर 1980 एससी 485)। आगे यह देखा गया है कि यह स्थिति तब और भी अधिक होगी यदि किसी विशेष खंड के शाब्दिक निर्माण से स्पष्ट रूप से बेतुके या असंगत परिणाम सामने आते हैं जिन पर विधानमंडल द्वारा ध्यान नहीं दिया जा सकता था। कोर्ट ने मामले में संविधान के दो सिद्धांतों पर गौर किया है. एक 'कैसस ओमिसस' से संबंधित और दूसरा समग्र रूप से क़ानून को पढ़ने के संबंध में। क़ानून की व्याख्या पर मैक्सवेल का अवलोकन ध्यान में आता है जो इस प्रकार है:-

"चूक का अनुमान नहीं लगाया जाना चाहिए-" यह शाब्दिक निर्माण के सामान्य नियम का परिणाम है कि किसी क़ानून में कुछ भी जोड़ा या हटाया नहीं जा सकता है जब तक कि इस अनुमान को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त आधार न हों कि विधायिका का इरादा कुछ ऐसा था जिसे उसने व्यक्त करना छोड़ दिया। . लॉर्ड मोर्से ने कहा: 'संसद के अधिनियम में उन शब्दों को पढ़ना एक मजबूत बात है जो वहां नहीं हैं, और स्पष्ट आवश्यकता के अभाव में ऐसा करना एक गलत बात है।' लॉर्ड लोरबर्न एलसी ने कहा, 'हम संसद के अधिनियम में शब्दों को पढ़ने के हकदार नहीं हैं, जब तक कि इसके लिए स्पष्ट कारण अधिनियम के चारों कोनों में न पाया जाए।' किसी क़ानून में प्रावधान न किए गए मामले को केवल इसलिए नहीं निपटाया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा कोई अच्छा कारण नहीं दिखता कि इसे क्यों छोड़ा जाना चाहिए था, और परिणामस्वरूप यह चूक अनजाने में हुई प्रतीत होती है।"

बाद वाले सिद्धांत के संबंध में कानून का निम्नलिखित कथन मैक्सवेल में पृष्ठ 47 पर दिखाई देता है:

एक क़ानून को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए - "लिंकन कॉलेज के मामले (1595) 3 सह प्रतिनिधि 58बी, पृष्ठ 59बी पर यह हल किया गया था कि संसद के एक अधिनियम के अच्छे व्याख्याता को सभी हिस्सों पर एक साथ निर्माण करना चाहिए , और केवल एक भाग का ही नहीं।' किसी क़ानून के प्रत्येक खंड को 'संदर्भ और अधिनियम के अन्य खंडों के संदर्भ में समझा जाना चाहिए, ताकि जहां तक संभव हो,

पूरे क़ानून का एक सुसंगत अधिनियम बनाया जा सके।' (कनाडा शुगर रिफाइनिंग कंपनी लिमिटेड बनाम आर. 1898 एसी 735 (कनाडा) में लॉर्ड डेवी के अनुसार)।"

सुल्ताना बेगम बनाम प्रेम चंद जैन, एआईआर 1997 एससी 1006 का संदर्भ यह आग्रह करने के लिए दिया गया है कि क़ानून की व्याख्या करते समय, सामंजस्यपूर्ण निर्माण नियम लागू किया जाना चाहिए। यह देखा गया है कि अदालतों को यह भी ध्यान में रखना होगा कि एक व्याख्या जो प्रावधानों में से किसी एक को "मृत पत्र" या "बेकार लकड़ी" के रूप में कम करती है।

सामंजस्यपूर्ण निर्माण नहीं है. सामंजस्य स्थापित करने का अर्थ किसी वैधानिक प्रावधान को नष्ट करना या उसके निर्माण को निरर्थक बनाना नहीं है। इस मामले में देखे गए विभिन्न निर्णयों से निम्नलिखित सिद्धांत समझ में आते हैं: -

"(1) यह न्यायालयों का कर्तव्य है कि वह अधिनियम की दो धाराओं के बीच आमने-सामने टकराव से बचें और जो प्रावधान एक-दूसरे के साथ विरोधाभासी प्रतीत होते हैं, उन्हें इस तरह से समझें कि उनमें सामंजस्य स्थापित हो सके।

(2) किसी क़ानून की एक धारा के प्रावधानों का उपयोग अन्य प्रावधानों को पराजित करने के लिए नहीं किया जा सकता है जब तक कि अदालत, अपने प्रयासों के बावजूद, उनके बीच सामंजस्य स्थापित करना असंभव न समझे।

(3) यह बात सभी न्यायालयों को हर समय ध्यान में रखनी होगी कि जब किसी अधिनियम में दो परस्पर विरोधी प्रावधान हों, जिनका आपस में सामंजस्य न हो सके, तो उनकी व्याख्या इस प्रकार की जानी चाहिए कि, संभव हो, प्रभाव दिया जाए। दोनों के लिए। यह "सामंजस्यपूर्ण निर्माण" के नियम का सार है।

(4) अदालतों को यह भी ध्यान में रखना होगा कि एक व्याख्या जो प्रावधानों में से किसी एक को "मृत पत्र" या "बेकार लकड़ी" के रूप में कम करती है, सामंजस्यपूर्ण निर्माण नहीं है।

(5) सामंजस्य स्थापित करने का अर्थ किसी वैधानिक प्रावधान को नष्ट करना या उसे निरर्थक बनाना नहीं है।"

इस संबंध में केवल पद्मसुंदर राव (मृत) और अन्य बनाम का संदर्भ दिया गया है। टीएन राज्य और अन्य , एआईआर 2002 एससी 1334 जहां निर्माण के दो सिद्धांत,

एक 'कैसस ओमिसस' से संबंधित और दूसरा क़ानून को समग्र रूप से पढ़ने के संबंध में अच्छी तरह से तय किया गया है। आगे यह देखा गया है कि पहले सिद्धांत के तहत अदालत द्वारा एक कैसस ऑमिसस की आपूर्ति नहीं की जा सकती है, सिवाय स्पष्ट अनिवार्यता के मामले में और जब इसका कारण क़ानून के चारों कोनों में पाया जाता है, लेकिन साथ ही एक कैसस ऑमिसस की आपूर्ति की जानी चाहिए उस उद्देश्य के लिए आसानी से अनुमान नहीं लगाया जाना चाहिए, किसी क़ानून या अनुभाग के सभी हिस्सों को एक साथ समझा जाना चाहिए और अनुभाग के प्रत्येक खंड को संदर्भ और उसके अन्य खंडों के संदर्भ में समझा जाना चाहिए, ताकि किसी विशेष प्रावधान पर किया जाने वाला निर्माण एक सुसंगत हो सके संपूर्ण क़ानून का अधिनियमन. वी.एस.मल्लीमठ बनाम भारत संघ और अन्य (2001) 4 एससीसी 31 और एम.एस.चावला और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य, (2001) 5 एससीसी 358 का भी संदर्भ दिया गया है जहां राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य (वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) नियम 1993 को व्यापक अर्थ में समझा गया है। भगत राम शर्मा बनाम भारत संघ और अन्य, 1998 (सप्लीमेंट) एससीसी 30 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नया जोड़ा गया विनियमन एक विसंगति को दूर करने के लिए एक उपचारात्मक उपाय है और इसलिए इसे एक लाभकारी निर्माण प्राप्त करना चाहिए और यदि यह सक्षम है दो व्याख्याओं में से, अदालत को उस निर्माण को प्राथमिकता देनी चाहिए जो इसके पीछे लाभकारी उद्देश्य की अनुमति देता है। आगे यह देखा गया है कि जब किसी क़ानून की भाषा अस्पष्टता से मुक्त होती है, तो अदालत पर इस्तेमाल किए गए शब्द या शब्दों को प्रभावी बनाने के लिए और कुछ करने का कोई कर्तव्य नहीं बनता है। मेरे सामने कुछ अन्य निर्णय भी रखे गए हैं, जिसमें आग्रह किया गया है कि आगे की पदोन्नति के मामले में एक स्रोत से भर्ती किए गए लोगों के साथ अन्य स्रोतों से भर्ती किए गए लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है क्योंकि एक बार जब वे एक कैडर में समाहित हो जाते हैं तो वे एक वर्ग बन जाते हैं। रोशन लाल टंडन बनाम भारत संघ और अन्य, 1967 एसएलआर 832 इस संबंध में विश्वसनीय है।

विनियम, 1972 में विभिन्न स्रोतों से लिए गए सदस्यों की परिभाषा और चिकित्सा भत्ते की प्रतिपूर्ति के अधिकार के संबंध में कोई अंतर करने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। यदि विधान का इरादा लोक सेवा आयोग के उन सदस्यों को इस लाभ से वंचित करना था, जो जनता से नियुक्त किए जाते हैं, तो इसे विनियमों में स्पष्ट रूप से प्रदान किया जाना आवश्यक था। जैसा कि ऊपर देखा गया है, छोड़े गए मामले को

जानबूझकर छोड़ा गया माना जाएगा। इस प्रकार, 'कैसस ओमिसस' व्याख्या द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। स्थिति सामान्य कानून द्वारा शासित होनी चाहिए। इस पहलू को 1940 के नियमों में किए गए प्रावधान के आधार पर विनियमन में पढ़ा जा रहा है। यदि यह 'कैसस ऑमिसस' का मामला है, तो क़ानून की व्याख्या के संबंध में घोषित सिद्धांत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसका तुरंत अनुमान नहीं लगाया जा सकता है और विनियमों के सभी प्रावधानों को एक साथ समझना होगा। किसी अन्य व्याख्या से ऐसा निर्माण होगा जो कम लाभकारी होगा। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, अदालत को उस निर्माण को प्राथमिकता देनी चाहिए जो कानून के पीछे लाभकारी उद्देश्य की अनुमति देता है। यदि क़ानून की भाषा अस्पष्टता से मुक्त है और अदालत को शब्द या प्रयुक्त शब्दों को प्रभावी बनाने के लिए कहा जाता है। जैसा कि ऊपर देखा गया है, किसी क़ानून के एक खंड के प्रावधान का उपयोग दूसरे प्रावधान को पराजित करने के लिए नहीं किया जा सकता है जब तक कि अदालत को उनके बीच सामंजस्य स्थापित करना असंभव न लगे। यदि इन प्रावधानों का सार यह है कि सरकारी पेंशनभोगी को चिकित्सा उपस्थिति की अनुमति है, तो याचिकाकर्ता के वकील द्वारा उठाई गई दलील में बहुत वजन है कि याचिकाकर्ता को राज्य से पेंशन मिल रही है। याचिकाकर्ता ने राज्य के मामलों के संबंध में सेवा की हो सकती है, लेकिन 1972 के विनियम 13 के प्रावधान में ऐसा कोई अंतर ध्यान देने योग्य नहीं है। यह दलील आकर्षक लग सकती है कि यह विनियमन सेवारत सदस्यों पर लागू होगा, न कि उन लोगों पर जो पेंशनभोगी हैं, लेकिन फिर राज्य अनुबंध पी-11 और पी-12 की व्याख्या कैसे करेगा। माना कि, याचिकाकर्ता पेंशन प्राप्त कर रहा है। मेरे लिए, याचिकाकर्ता जिस स्रोत से पेंशन प्राप्त कर रहा है, वह अप्रासंगिक लगेगा। उनकी पेंशन पर राज्य विधानसभा द्वारा बहस और मतदान किया जाता है। ये लाभकारी प्रावधान हैं, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों के चिकित्सा भत्ते की प्रतिपूर्ति की अनुमति मिल गई है। सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशन के प्राप्तकर्ता हैं। याचिकाकर्ता भी ऐसा ही है. पेंशन के स्रोत से चिकित्सा प्रतिपूर्ति के अनुदान पर क्या फर्क पड़ेगा? अधिक से अधिक, प्रतिपूर्ति की राशि उस मद या पेंशन के स्रोत पर बहस का विषय हो सकती है जहां से याचिकाकर्ता को यह पेंशन दी जा रही है। कोई इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता कि समान स्थिति वाले दो सदस्यों को पहले चिकित्सा प्रतिपूर्ति की अनुमति दी गई थी और अब याचिकाकर्ता को वही रियायत देने से इनकार कर दिया गया है, जो उचित नहीं लगता है।

इसलिए, रिट याचिका स्वीकार किये जाने योग्य है। याचिकाकर्ता को पीजीआई, चंडीगढ़ से आंखों का इलाज कराने के दौरान हुए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति करने का निर्देश जारी किया जाता है। लागत के रूप में कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

हरिकिशन

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

गुरुग्राम, हरियाणा